न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

इजलास अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

दावा संख्या :–5/2020

निर्णय दिनांकः–...02/02/26

उनवान

1. निर्मला पत्नी राधेश्याम जाति बैरवा निवासी ग्राम बहड तह0 निवाई टोंक राज.

वादीया

बनाम

1. शान्ति पत्नी रामनिवास जाति बैरवा निवासी बहड तह0 निवाई जिला टोंक.
2. तहसीलदार निवाई निवाई तह0 जिला टोक
3. उपपंजीयक निवाई जिला टोंक राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1 श्री मोहम्मद सलीम (अधिवक्ता वादीगण)
2 प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई

दावा बाबत उद्घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी खाता संख्या 77 में खसरा नम्बर 1760/3 वाके ग्राम बहड तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। जिसमे वादीया का मुताबिक जमाबन्दी हक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि को वादीयास ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 2014 मे कय किया था तभी से वादीया उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर बौत जौतते आ रही है। वादीया ने अपने खेत पर रखवाली हेतु कमरे बना रखे है एवं विधुत कनेक्शन ले रखा है त[illegible] ट्युबवेल खुदवाया है जिससे वादीया अपने खेत पर सिंचाई कर फसल तैयार करती आ रही है तथा निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करती आ रही है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त खसरा नम्बर में से कुछ भूमि कय कर ली है और जबरन वादीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है तथा वादीया की भूमि को अपनी होना बताकर रहन दान बेचान करने पर उतारू है। जिससे मौके पर अजनबी व्यक्ति द्वारा अकारण वादीया के हिस्से काश्त की भूमि में आकर विवाद उत्पन्न करने का अंदेशा हो रहा है। जिससे मौके पर विवाद लगातार बना हुआ है। इसलिये वादीया के लिये अब यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द करवाये कि उक्त आराजियात का जब तक मौक पर वादीया के स्थित कब्जे अनुसार तकासमा नही हो जाता है उस समय तक उक्त भूमि को किसी के भी हक में रहन

Scanned with OKEN Scanner

व विक्रय इत्यादि न करे न ही करवावे तथा प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे काश्त हिस्से में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत हस्तक्षेप दखलअन्दाजी आदि नही करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से श्री शंकरलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है।

वादी एवं वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता/उभयपक्ष के अधिवक्ता ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीया के मध्य उक्त वादग्रस्त आराजियात का कब्जे व मौके के अनुसार तकासमा कराने हेतु सहमत है। वादीया के हस्ताक्षर करवाये गये जिनकी तस्दीक वादी के अधिवक्ता ने की।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम बहड तहसील निवाई के खसरा संख्या 1760/3 की भूमि का मौके व कब्जे के अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार निवाई को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार निवाई द्वारा आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 17.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान ने सहमति जताई है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 कब्जे काश्त आधार पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हे.मे)
		कब्जा काश्त अनुसार तकासमा		
1.	बहड़	निर्मला पत्नि राधेश्याम बैरवा	1760/3/2	1.1508
	योग		किता 1	1.1508

क्र.स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हे.मे)
		कब्जा काश्त अनुसार तकासमा		
1.	बहड	शान्ति पत्नि रामनिवास रैगर	1760/3/1	1.2646
	योग		किता 01	1.2646

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिक्री जारी हो फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 02/02/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

(अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई)

उनवान

निर्मला बनाम शान्ति

मुकदमा नम्बर :– 5/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. ब हाजरी श्री मोहम्मद सलीम वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार निवाई से प्राप्त कूरेंजात रिपोर्ट पर बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई। वाद वादी मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की खसरा संख्या 1760/3 वाके ग्राम बहड तहसील निवाई जिला टोंक में भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हे.मे)
1.	बहड़	कब्जे एवं मौके अनुसार तकासमा निर्मला पत्नि राधेश्याम बैरवा	1760/3/2	1.1508
			किता 1	1.1508
	योग			

क्र.स.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हे.मे)
2.	बहड	कब्जे एवं मौके अनुसार तकासमा शान्ति पत्नि रामनिवास रैगर	1760/3/1	1.2646
			किता 01	1.2646
	योग			

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02/02/26 को जारी की गई।

अनिता कुमारी खटीक
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner